उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) के अधिकारियों/कार्मिकों हेतु निर्धारित सेवानियमावली 2013

निबन्धक/गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तरांचल, काशीपुर के आदेश सं0 2556–58 दिनांक 15.12.2004 द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, (उत्तराखण्ड शुगर्स) का पंजीकरण किया गया तथा सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 10 दिनांक 06.01.2006 एवं सं0 1042 दिनांक 26.08.2013 द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, (उत्तराखण्ड शुगर्स) के मुख्यालय हेतु ढाँचे का गठन करते हुए विभिन्न पदों का सृजन किया गया। इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति, पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं उत्तराखण्ड को–ओपरेटिव शुगर फैक्ट्री फैडरेशन लि0 की उप–विधियों (बायलॉज) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) के अधिकारियों/कार्मिकों हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स निम्नलिखित सेवानियमावली बनाते है –

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) के मुख्यालय हेतु स्वीकृत अधिकारियों/कार्मिकों के पदों पर भर्ती की सेवानियमावली 2013

1. (i) यह नियमावली उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) के मुख्यालय हेतु स्वीकृत अधिकारियों/कार्मिकों के पदों पर भर्ती की सेवानियमावली 2013 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

   (ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

   (iii) यह नियमावली उत्तराखण्ड शुगर्स में सृजित पद महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (कार्मिक), प्रबन्धक (विकय), सम्प्रेक्षण अधिकारी, कय अधिकारी, विधि अधिकारी, निजी सचिव, निजी सहायक, कैशियर कम लागत सहायक, सहायक, कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं अनुसेवक के पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में लागू होगी।

2. किसी अन्य सेवानियमावली या आदेश में दी गयी किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी। अध्यारोही प्रभाव

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो। परिभाषाएं

   (i) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सेवा नियमों के अधीन उत्तराखण्ड शुगर्स में महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (कार्मिक), प्रबन्धक (विकय), सम्प्रेक्षण अधिकारी, कय अधिकारी, विधि अधिकारी, निजी सचिव, निजी सहायक, कैशियर कम लागत सहायक, सहायक के पदों पर नियुक्तियों करने के लिये प्रशासक तथा कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं अनुसेवक के पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है ;

   (ii) "उपलब्ध रिक्ति" का तात्पर्य ऐसी रिक्ति से है जो नियुक्ति की तिथि को उत्तराखण्ड शुगर्स में सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त हों ;

   (iii) "प्रशासक" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) के पदेन प्रशासक से है ;

   (iv) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 (उत्तराखण्ड शुगर्स) के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है, इसे प्रबन्ध निदेशक पढ़ा जायेगा ;

   (v) "उत्तराखण्ड शुगर्स" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 से है ;

   (vi) "सेवानियमावली" का तात्पर्य उत्तराखण्ड शुगर्स में सृजित पद महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (कार्मिक), प्रबन्धक (विकय), सम्प्रेक्षण अधिकारी, कय अधिकारी, विधि अधिकारी, निजी सचिव, निजी सहायक, कैशियर कम लागत सहायक, सहायक, कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं अनुसेवक के पदों को शासित करने वाली उत्तराखण्ड शुगर्स में प्रभावी सेवा नियमावलियों से है ;

   (vii) "अधीनस्थ चीनी मिलों" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के अधीन सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों से है ;

   (viii) "नियमित नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संदर्भ में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो दैनिक वेतन पर न की गयी हो और नियमों के अनुसार विहित प्रक्रिया के आधार पर चयन के पश्चात् की गयी हो ;

सृजित पदों पर तैनाती हेतु

1. (i) **महाप्रबन्धक (वेतनमान रू0 16400–450–20000) सृजित पदों की संख्या – 01**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान रू0 14300–18300 में नियमित रूप से कार्यरत अधिकारियों में से चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारी यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित अधिकारी का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 16400–20000 का अगला उच्च वेतनमान रू0 16400–22400 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(ii) **प्रबन्धक (कार्मिक) (वेतनमान रू0 12000–375–16500) सृजित पदों की संख्या – 01**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान रू0 10000–15200 में नियमित रूप से कार्यरत अधिकारियों में से जिन्हें कार्मिक सम्बन्धी कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारी यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित अधिकारी का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 12000–16500 का अगला उच्च वेतनमान रू0 14300–18300 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(iii) **प्रबन्धक (विक्रय) (वेतनमान रू0 12000–375–16500) सृजित पदों की संख्या – 01**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान रू0 10000–15200 में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे अधिकारियों में से जिन्हें विक्रय सम्बन्धी कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारी यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित अधिकारी का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 12000–16500 का अगला उच्च वेतनमान रू0 14300–18300

संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(iv) **सम्प्रेक्षण अधिकारी (वेतनमान रू0 10000–325–15200) सृजित पदों की संख्या – 01**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान रू0 8000–13500 में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे अधिकारियों में से जिन्हें सम्प्रेक्षण सम्बन्धी कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारी यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित अधिकारी का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 10000–15200 का अगला उच्च वेतनमान रू0 12000–16500 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(v) **कय अधिकारी (वेतनमान रू0 8000–275–13500) सृजित पदों की संख्या – 01**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान रू0 6500–10500 में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे अधिकारियों में से जिन्हें कय सम्बन्धी कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारी यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित अधिकारी का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 8000–13500 का अगला उच्च वेतनमान रू0 10000–15200 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(vi) **विधि अधिकारी (वेतनमान रू0 8000–275–13500) सृजित पदों की संख्या – 01**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान रू0 6500–10500 में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे अधिकारियों में से जिन्हें न्यायालयी वादों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो तथा जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ एल0एल0बी0 हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित

किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारी यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित अधिकारी का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 8000–13500 का अगला उच्च वेतनमान रू0 10000–15200 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। इस पद हेतु अधीनस्थ चीनी मिलों में पात्र कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की दशा में कार्य संचालन हेतु इस पद पर किसी विद्वान अधिवक्ता को Retainership देकर भी व्यवस्था की जा सकेगी।

(vii) **निजी सचिव (वेतनमान रू0 6500–200–10500) सृजित पदों की संख्या – 02**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिकों में से जिन्हें इस पद से सम्बन्धित कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिक यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 6500–10500 का अगला उच्च वेतनमान रू0 8000–13500 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(viii) **निजी सहायक (वेतनमान रू0 5500–175–9000) सृजित पदों की संख्या – 01**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिकों में से जिन्हें इस पद से सम्बन्धित कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिक यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 5500–9000 का अगला उच्च वेतनमान रू0 6500–10500 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(ix) **कैशियर कम लागत सहायक (वेतनमान रू0 5500–175–9000) सृजित पदों की संख्या – 01**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिकों में से जिन्हें इस पद से सम्बन्धित कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिक यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 5500–9000 का अगला उच्च वेतनमान रू0 6500–10500 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(x) **सहायक (वेतनमान रू0 4500–125–7000) सृजित पदों की संख्या – 07**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिकों में से जिन्हें इस पद से सम्बन्धित कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिक यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 4500–7000 का अगला उच्च वेतनमान रू0 5500–9000 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी एक बार में अधिकतम 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरा जा सकेगा।

(xi) **कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर (वेतनमान रू0 4000–100–6000) सृजित पदों की संख्या – 02**

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान से एक न्यून वेतनमान में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिकों में से जिन्हें इस पद से सम्बन्धित कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड शुगर्स एवं चीनी मिलों के 02 प्रधान प्रबन्धक स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिक यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 4000–6000 का अगला उच्च वेतनमान रू0

4500–7000 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से पंजीकृत संस्था के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा भी भरा जा सकेगा।

(xii) वाहन चालक (वेतनमान रू0 3050–75–3950–80–4590) सृजित पदों की संख्या – 04

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान के समान अथवा उससे एक न्यून वेतनमान में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिकों में से जिन्हें इस पद से सम्बन्धित कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड शुगर्स एवं चीनी मिलों के 02 प्रधान प्रबन्धक स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिक यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 3050–4590 का अगला उच्च वेतनमान रू0 4000–6000 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से पंजीकृत संस्था के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा भी भरा जा सकेगा।

(xiii) अनुसेवक (वेतनमान रू0 2550–55–2660–60–3200) सृजित पदों की संख्या – 04

उक्त पद को अधीनस्थ सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में पद के वेतनमान के समान अथवा उससे एक न्यून वेतनमान में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिकों में से जिन्हें इस पद से सम्बन्धित कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, चयन के माध्यम से भरा जा सकेगा। इस पद पर चयन हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड शुगर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड शुगर्स एवं चीनी मिलों के 02 प्रधान प्रबन्धक स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। उक्त गठित समिति की संस्तुति के आधार पर चयन के उपरान्त इस पद पर तैनाती प्रथमतः अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक की उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को अधिकतम सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा 10 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक ही विस्तारित किया जा सकेगा। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिक यदि सेवानिवृत्त नही होता है तो उन्हें उनके मूल अधिष्ठान में वापस तैनात किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक का अपने मूल अधिष्ठान में लियन यथावत् बना रहेगा तथा मूल पद पर पदोन्नति हो जाने अथवा उच्च वेतनमान प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में प्राप्त वेतनमान रू0 2550–3200 का अगला उच्च वेतनमान रू0 3050–4590 संतोषजनक सेवा के आधार पर अनुमन्य कराया जा सकेगा। उक्त पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की दशा में इस पद को कार्य संचालन की दृष्टि से पंजीकृत संस्था के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा भी भरा जा सकेगा।

तैनाती हेतु शर्तो का निर्धारण

5. (i) उत्तराखण्ड शुगर्स में अधीनस्थ चीनी मिलों से उक्तानुसार तैनात किये जाने वाले अधिकारी/कार्मिक सम्बन्धित चीनी मिलों में भविष्य निधि एवं सामयिक बीमा के सदस्य यथावत् बने रहेंगे तथा प्रतिमाह उत्तराखण्ड शुगर्स से उक्त मदों की कटौती की धनराशि सम्बन्धित चीनी मिलों को भेजी जायेगी।

(ii) उत्तराखण्ड शुगर्स में उक्तानुसार अधीनस्थ चीनी मिलों से चयन के उपरान्त तैनात किये गये कार्मिकों का वेतन संगत वित्तीय नियमों के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा तथा इन्हें वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(iii) उत्तराखण्ड शुगर्स में उक्तवत् अधीनस्थ चीनी मिलों से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग द्वारा वापस किये जाने की मांग अथवा उत्तराखण्ड शुगर्स को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत उन्हें किसी भी समय उनके मूल तैनाती के स्थान पर वापस तैनात किया जा सकेगा।

(iv) उत्तराखण्ड शुगर्स में उक्तवत् अधीनस्थ चीनी मिलों से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों का लियन उनके पैतृक विभाग में यथावत् बना रहेगा तथा अपने संवर्ग में इनकी वरिष्ठता भी यथावत् बनी रहेगी। इन्हें अपने संवर्ग में पदोन्नति का लाभ (प्रोफार्मा प्रोन्नति) भी प्राप्त हो सकेगा।

(v) उत्तराखण्ड शुगर्स में उक्तवत् अधीनस्थ चीनी मिलों से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग में वापस तैनात किये जाने पर उन्हें उत्तराखण्ड शुगर्स में की गयी सेवा अवधि के लिए देय उपार्जित, चिकित्सा अवकाश, ग्रेच्युटी आदि का लाभ पैतृक विभाग में अनुमन्य होगा।

6. अधीनस्थ चीनी मिलों से चयन के आधार पर तैनात किये गये कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिये जाने पर उन्हें किसी प्रकार का प्रतिकर आदि देय नहीं होगा।

7. उक्त कार्मिकों की उत्तराखण्ड शुगर्स में तैनाती की अवधि पूर्ण हो जाने पर उन्हें उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया जायेगा तथा इन कार्मिकों का उत्तराखण्ड शुगर्स में बने रहने का कोई अधिकार नही होगा।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
प्रशासक